

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)



आदेश पत्रक

प.सं

विश्वनाथ सिंह मुण्डू

बनाम

चैतन सिंह मुण्डू वगैरह

क्र०/तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
	<p>अगिलेख सं०-एग...<u>३७</u>.../2018 धारा-107 द०प्र०सं० थाना प्रभारी <u>तगाड</u> के अप्राथमिकी सं०-12/18 दिनांक-26-3-18 प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि <u>जमीन खेदेई बिगड को त्रेकट उभय पक्ष में तनाव है।</u></p> <p>जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति मुख्य होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति मुख्य हो जाएगी।</p> <p>अतः मैं मायल राज, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द०प्र०सं० की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 10000(एक हजार) रु० का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।</p> <p>अगिलेख तिथि <u>11-05-18</u> को उपस्थापित करें। लेखापित एवं संशोधित</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू। </div> <div style="text-align: center;">  कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू। </div> </div> <p align="center" style="margin-top: 20px;"><u>अभिलेख उपस्थापित / उभय पक्ष उपस्थित / उभय पक्ष प्रमाण दाखिल करी</u> <u>दिनांक 28-05-18 को शरत।</u></p>	

11-05-18

4
11/5/18

(5)

पृष्ठ सं०-

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

तिथि

2-10-18

आमिनीरा उपस्थापित । समय पत्र
उपस्थित । प्रथम पत्र अधिवक्ता द्वारा
गवाही हेतु अगली तिथि की मंग की
गई । प्रथम पत्र गवाही हेतु दिनांक
02-11-18 को रखे ।


2/10/18

02-11-18

आमिनीरा उपस्थापित । समय पत्र
उपस्थित । प्रथम पत्र गवाह विस्तार
सिंह मुण्ड से परिनज एवं प्रतिपरिनज
लिया गया तथा गवाही से मुक्त किया
गया । प्रथम पत्र गवाही कद की जारी
है । दिनांक पत्र गवाही हेतु गवाह उपस्थित
करे। दिनांक 26-11-18 को रखे।


2/11/18

26-11-18

आमिनीरा उपस्थापित । समय पत्र
उपस्थित । उक्त वाद में 6(6) मार

63

पृष्ठ सं०-

विश

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

की अवधि पूर्ण हो चुकी है अर्थात् वाद
कालवाधित हो गया है अतः वाद में
आगिलेशन की कारवाही बन्द की जाती
है


26/11/18